रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11022021-225091
SG-DL-E-11022021-225091

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]	**दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2021/ माघ 21, 1942**	**[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 319**
No. 54]	**DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2021/MAGHA 21, 1942**	**[N. C. T. D. No. 319**

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 10 फरवरी, 2021

सं. फा.—19(08)/2017/वि.स.स./स्था0/1472.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या—27/59—एच.आई.एम. (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद—309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पद से संबंधित पूर्ववर्ती नियमों के अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाए जाने के लिए की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा विधान सभा सचिवालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में अनुवादक (हिंदी) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** : (i) इन नियमों को दिल्ली विधान सभा, सचिवालय **''अनुवादक (हिंदी)''** भर्ती नियमावली, 2020 के नाम से जाना जाएगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :– ऐसा कोई भी व्यक्ति,**

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव** :– इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

<table>
<tr><td>1.</td><td>पदनाम</td><td colspan="4">अनुवादक (हिंदी)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पदों की संख्या</td><td colspan="4">02 (2020)
* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वर्गीकरण</td><td colspan="4">सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिक</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>वेतन मैट्रिक्स में स्तर</td><td colspan="4">वेतन स्तर-6 (35400-112400/- रुपये)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है</td><td colspan="4">लागू नहीं।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा</td><td colspan="4">30 वर्ष से अधिक नहीं।
(क) महत्वपूर्ण विवरण : आयु सीमा निर्धारण की अन्तिम तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार होगी।
(ख) छूट/रियायत विवरण : केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक की छूट।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td rowspan="3">सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं</td><td colspan="2">अनिवार्य</td><td colspan="2">वांछनीय</td></tr>
<tr><td>योग्यता</td><td>अनुभव</td><td>योग्यता</td><td>अनुभव</td></tr>
<tr><td>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या स्नातक स्तर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में स्नातकोत्तर की उपाधि।
अथवा
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या स्नातक स्तर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि।
अथवा
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम और अंग्रेजी के एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या स्नातक स्तर परीक्षा के माध्यम के रूप में स्नातकोत्तर उपाधि।
अथवा
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में</td><td>भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमत में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स अथवा हिन्दी से अंगेजी और विलोमत में अनुवाद कार्य में दो</td><td>(i) हिंदी पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान.

(ii) पारिभाषिक शब्दावली तथा कोश रचना संबंधी कार्य का ज्ञान जिसमें हिंदी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा का प्रयोग</td><td>लागू नहीं।</td></tr>
</table>

		अंग्रेजी माध्यम और हिन्दी के एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या स्नातक स्तर परीक्षा के माध्यम के रूप में स्नातकोत्तर उपाधि।	साल का अनुभव।	निहित हो।	

		अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में हिन्दी और अंग्रेजी के एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से किसी एक के परीक्षा के माध्यम और दूसरे के एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातकोत्तर उपाधि।			
				1. योग्यता मानक टिप्पणी: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं डी.एस.एस.एस.बी./सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। **2. अनुभव मानक टिप्पणी**: यदि चयन की किसी अवस्था में डी.एस.एस.एस.बी. / सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के लिए उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं डी.एस. एस.एस.बी./सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।	
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	**आयु:** लागू नहीं **शैक्षिक योग्यता:** लागू नहीं।			
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष			
10	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	**तरीका:** अल्पावधि संविदा सहित प्रतिनियुक्ति जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।		**प्रतिशत:** 100%	

11.	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ विलयन किया जाना है।	**प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित):** केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/ स्वायत्त निकायों/संवैधानिक संगठनों के अन्तर्गत अधिकारी ; **(क)** (i) मूल संवर्ग/ विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे मैट्रिक्स के स्तर 5 (29200-92300/-रू) में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत उस ग्रेड में छः वर्ष की सेवा सहित, अथवा उसके समकक्ष ; और **(ख)** कॉलम संख्या 7 में सीधी भर्ती के लिए यथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले । **टिप्पणी**: उसी अथवा किसी अन्य संगठन/केन्द्र सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य एक्स कैडर पद की प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा

		सहित) अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदनों के प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	**पदोन्नति**	**सीधी भर्ती का स्थायीकरण**
			1. सचिव, दिल्ली विधान सभा : अध्यक्ष 2. उप सचिव, (कला, संस्कृति एवं भाषा) : सदस्य 3. उप सचिव (प्रशासन), दिल्ली विधान सभा : सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयेाग का परामर्श लिया जाना है।	अनिवार्य नहीं।	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर

मुकेश सी. शर्मा, उप सचिव (प्रशासन)/कार्यालय प्रमुख

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th February, 2021

No.F.19(08)/2017/LAS/Estt./1472 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of the earlier rules relating to the post except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Translator(Hindi) in Legislative Assembly Secretariat, Delhi of Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement**:- (i) These rules may be called Legislative Assembly Secretariat, Delhi **Translator (Hindi)** Recruitment Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix**:- The number of said post, its classification and level of the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications:**- No person;

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person;

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**:- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with UPSC for any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

<table>
<tr><td>1.</td><td>Name of the post.</td><td>:</td><td colspan="4">TRANSLATOR (HINDI).</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Number of posts.</td><td>:</td><td colspan="4">2 (2020)
*Subject to variation dependent on workload.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Classification.</td><td>:</td><td colspan="4">General Central Service,
Non-Ministerial. Non-Gazetted, Group-B.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Pay Level in Pay Matrix.</td><td>:</td><td colspan="4">Pay Level-6 (Rs.35400-112400).</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Whether Selection posts / Non-selection post.</td><td>:</td><td colspan="4">Not applicable.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Age limit for direct recruits.</td><td>:</td><td colspan="4">Not Exceeding 30 years.
(a) Crucial Description: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board/Competent Authority.
(b) Relaxation Description: (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td rowspan="3">Educational and other Qualification required for direct recruits.</td><td rowspan="3">:</td><td colspan="2">Essential</td><td colspan="2">Desirable</td></tr>
<tr><td>Qualification</td><td>Experience</td><td>Qualification</td><td>Experience</td></tr>
<tr><td>Masters Degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR
Masters Degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; OR
Masters Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR
Masters Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;</td><td>Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa, or two year experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking.</td><td>(i) Knowledge of Hindi Terminology.

(iii) Termin-ological and Lexographical work involving use of Modern Indian Language other than Hindi.</td><td>Not Applicable</td></tr>
</table>

		:	**OR** Masters Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level.			
					1. Qualification Standard Note: Qualification are relaxable at the discretion of the DSSSB/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **2. Experience Standard Note:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the DSSSB/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the DSSSB/Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them	
8.	Whether age & Educational Qualification Prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	:	**Age:** NA **Educational Qualification:** NA			
9.	Period of probation if any.	:	2 Years			
10	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	:	**Method:** Deputation including Short Term Contract failing which by Direct Recruitment.		**Percentage:** 100%	

<table>
<tr><td>11.</td><td>In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.</td><td>:</td><td colspan="2">Deputation (including Short Term Contract):

Officers under Central Government/State Governments/ Union Territory Administrations/ Public Sector Undertakings/ Recognised Universities/ recognised research institutions/ Autonomous Bodies/ Statutory Organizations;

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR

(ii) With six years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-5 (Rs.29200-92300) of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department ;

And

(b) Possessing the educational Qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note: The period of deputation including the period of deputation in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">12.</td><td rowspan="2">If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.</td><td rowspan="2"></td><td>Promotion</td><td>Confirmation of DR</td></tr>
<tr><td></td><td>1. Secretary, DLAS : Chairman
2. Dy. Secy.(Art, Cultural & Language) : Member
3. Dy. Secretary(Admn.),LAS : Member</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.</td><td>:</td><td colspan="2">Not necessary.</td></tr>
</table>

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi;

MUKESH C. SHARMA, Dy. Secy. (Admn.)/HOO

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.02.11 16:53:05 +05'30'